UPAL280009892020

IN THE COURT OF
Addl. Chief Judicial Magistrate (Railway)
AT ,Aligarh
(Presided Over by <u>Shivank Singh</u>)

<u>Warrant or Summons Criminal Case/684/2020</u>

राज्य बनाम कृष्ण कुमार।
धारा 174सी रेलवे एक्ट
पोस्टः–आर0पी0एफ0,फफूँद ।
मु0अ0सं0 522/2019

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत परिवाद आर0पी0एफ0, फफूँद द्वारा अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरूद्ध शिकायत पत्र मुकदमा अपराध संख्या 522/2019 अन्तर्गत धारा 174सी रेलवे अधिनियम न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि दिनांक 13–12–2019 को समय 20:01 बजे स्थान कि0मी0 नं0 1121/07–09 के मध्य अन्तर्गत क्षेत्र थाना आर0पी0एफ0 फफूँद में आपके द्वारा अप साइड में सिग्नल ओएफसी केबिल डीएफसीसीआईएल ने काटा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

पोस्ट आर0पी0एफ0, फफूँद द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 174सी रेलवे एक्ट में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया, तदपश्चात अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। इस स्तर पर आज अभियुक्त द्वारा जुर्मस्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुर्मस्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र में स्वेच्छा पूर्वक अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये मामलें को निस्तारित किये जाने की याचना की गई है। अतः अभियुक्त का बयान अंकित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बयान में भी स्वेच्छापूर्वक अपना जुर्मस्वीकार किया है।

लोक अभियोजक द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त ने स्वेच्छा पूर्वक अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त की जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 174सी रेलवे एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनॉकः–11–09–2025

(शिवांक सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),
अलीगढ।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि वह गरीब आदमी है और उसके परिवार में कमाने वाला वह अकेला सदस्य है। वह बीमार भी रहता है, पूर्व सजायाफ्ता नही और ना ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उसे मॉफ किया जाये।

अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 174सी रेलवे एक्ट के अन्तर्गत मु0 500/—रूपये अर्थदण्ड की धनराशि की सजा से दण्डित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कृष्ण कुमार को धारा 174सी रेलवे एक्ट के अन्तर्गत मु0 500/—रूपये अर्थदण्ड की धनराशि की सजा से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने पर 02 दिन का साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। वाद मियाद अपील उक्त वाद से सम्बन्धित केस प्रपर्टी नियमानुसार निस्तारित हो। अभियुक्त के जमानतीयों को उसकी जमानत से उनमोचित एवं बन्ध पत्र निरस्त किये जाते है।

दिनॉकः—11—09—2025

(शिवांक सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),
अलीगढ।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः—11—09—2025

(शिवांक सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),
अलीगढ।

Digitally signed by SHIVANK SINGH
Date: 2025.09.11 15:28:53 BDT
Reason: Document Owner
Location: A.C.J.M.R.